प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (एस.) क्रमांक 6919 वर्ष 2006

राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक: 27-2-2007 के लिए सूचीबद्ध करें

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (एस.) संख्या 6919 वर्ष 2006

याचिकाकर्ता : राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से : – श्री पी.के. भादुड़ी अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी की ओर से : – श्री सतीश गुप्ता उप शासकीय अधिवक्ता ।

आदेश

(पारित दिनांक :– 27.02.2007)

1. याचिकाकर्ता को शुरू में उत्तरवादी के कार्यालय में दिनांक 10–8–1988 (पी–1) के आदेश द्वारा 870/– रुपये प्रति माह के निश्चित वेतन पर तदर्थ आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक और टंकक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, दिनांक 19–4–1989 (पी–3) का एक आदेश पारित किया गया, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश की प्रकृति को तदर्थ नियुक्ति से बदलकर उसी निश्चित वेतन पर तदर्थ नियुक्ति कर दिया गया था, अर्थात, 870/– रुपये प्रति माह भत्ते सहित। दिनांक 19–4–1989

(पी3) के आदेश में, याचिकाकर्ता की अस्थायी आधार पर 870/– रुपये प्रति माह के नियमित वेतन पर नियुक्ति कुछ शर्तों के अधीन थी।

शर्तों में से एक यह थी कि परिवीक्षा अवधि के दौरान, कर्मचारी को मध्य प्रदेश आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा परिषद से आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा और सचिवालय परीक्षा के माध्यम से विभागीय हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। कर्मचारी को उपरोक्त परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने तक न्यूनतम वेतन का हकदार माना जाएगा। इसके बाद यह प्रावधान किया गया कि कर्मचारी को उपरोक्त परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के दूसरे दिन से दो वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने पर स्थायी कर दिया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि कर्मचारी दो वर्ष के भीतर अपनी परिवीक्षा पूरी करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्ति के सुसंगत नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. उन्हें नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में मध्य प्रदेश शिघ्रलेखन तथा मुद्रालेखन परीक्षा परिषद की तथा सचिवालय की विभागीय हिंदी मुद्रालेखन की परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी | इस अवधि में जब तक वे उक्त परीक्षाएँ उत्तीर्ण नहीं करेंगे तब तक उन्हें निम्न_ श्रेणी लिपिक एवम मुद्रालेखक के पद के वेतनमान का निम्नतम वेतन तथा उस पर मिलने वाले अन्य भत्ते मिलेंगे ।

2. यदि वे निर्धारित अवधि में उपर्युक्त प्रकार की हिंदी मुद्रालेखन की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेंगे तो उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के दूसरे दिन से निम्न श्रेणी लिपिक एवम मुद्रालेखक के पद में दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।

3. यदि वह उपर्युक्त परीक्षाएं निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो उनकी सेवाएं नियुक्ति की दिनांक से दो वर्ष पूर्ण होने पर बिना किसी औपचारिक आदेश के समाप्त हो जावेगी ।”

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश सरकार की आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रमाण पत्र दिनांक 28–10–1W4 (P–4) के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग पाँच वर्षों के बाद वर्ष। याचिकाकर्ता ने विभागीय टंकण परीक्षा भी वर्ष 1997 में उत्तीर्ण की। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 15–12–1997 के आदेश (पी–5) के तहत 4–12–1997 से 950–1530 रुपये का नियमित वेतनमान प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 15–7–1999 को अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी की। याचिकाकर्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर, दिनांक 30–9–2000 का एक प्रमाण पत्र (पी–6) जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि जैसे ही रिक्त स्थायी पद उपलब्ध होगा, याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि कर दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका, रिट याचिका संख्या 3196/2006, के माध्यम से इस न्यायालय में याचिका में मांगी गई राहत के समान राहत के लिए आवेदन किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 21–7–2006 (पी.–10) के आदेश द्वारा, योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष एकविस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और संबंधित प्राधिकारियों को तदनुसार उक्त अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26–10–2006 (पी.–12) के माध्यम से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लिया और विस्तृत कारण बताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 17–7–1994 को परिषद द्वारा हिंदी टंकण परीक्षा और दिसंबर, 1997 में विभागीय परीक्षा द्वारा हिंदी टंकण उत्तीर्ण कर लिया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 4–12–1997 से नियमित वेतनमान प्रदान किया गया। चूँकि याचिकाकर्ता दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका, इसलिए याचिकाकर्ता को विभागीय परीक्षा, 1997 में हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिनांक 4–12–1997 से वरिष्ठता और वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। तदनुसार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता की दिनांक 9–5–1988 से वरिष्ठता प्रदान करने की मांग निराधार है। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार

करने वाला दिनांक 26–10–2006 (पी.–12) का पत्र, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 (जिसे अब 'नियम, 2003' कहा जाएगा) के नियम 6(2) पर आधारित था, जो इस प्रकार है:–

"6 वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति योग्यता के अधीन :–

(1) xxx xxx xxx

(2) केवल ऐसे लोक सेवकों के नामों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपने संभरक संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में निर्धारित अर्हक सेवा भर्ती नियमों के अनुसार पूरी कर ली हो। हालाँकि, उन सभी लोक सेवकों के नामों पर विचार करना आवश्यक नहीं है, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो, लेकिन केवल लोक सेवकों के मामलों की उतनी संख्या पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त, चयन सूची में शामिल करने की दृष्टि से, दो लोक सेवकों के नाम या चयन सूची में शामिल लोक सेवकों की संख्या का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक लोक सेवकों की संख्या के नामों पर विचार किया जाएगा।"

स्पष्टीकरण :– पदोन्नति के लिए पात्रता की गणना का तरीक संबंधित वर्ष की 1 जनवरी को अर्हक सेवा की अवधि, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है, उस कैलेंडर वर्ष से गणना की जाएगी जिसमें लोक सेवक ने पोषक संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण किया है, न कि संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 1976 पर भरोसा वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि उक्त नियमों में वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने सचिवालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार , याचिकाकर्ता की वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

5. नियुक्ति आदेश दिनांक 19-4-1989 (पी. 3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता हिंदी टायपिंग (उपरोक्त) की आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिनांक 4-12-1997 से नियमित वेतनमान और भत्तों का हकदार होगा। इस प्रकार, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियमित वेतनमान प्रदान करना न्यायोचित और उचित है। सरकार ने, दिनांक 26-10-2006 (पी.2) के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए, मामले के सभी तथ्यों के साथ-साथ मामले के तथ्यों पर लागू विधि पर भी विचार किया है। उक्त निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह सर्वविदित है कि यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के भीतर आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो वरिष्ठता की गणना प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिए। अन्यथा , वरिष्ठता की गणना स्थायी नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तिथि, अर्थात् दिनांक 19-4-1989 से दो वर्ष की परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेश कुमार अगल बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है :-

हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना पदोन्नति के लिए एक शर्त है और चूँकि अपीलकर्ता ने दिनांक 20–9–1981 को परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए उसे पदोन्नति दी गई और उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय से ही वरिष्ठता निर्धारित कर दी गई। इन परिस्थितियों में, हमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. चंदोरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. .... इस स्वीकृत स्थिति को देखते हुए कि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, नियुक्ति प्राधिकारी ने माना कि उनकी वरिष्ठता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से गिनी जाएगी। नियम 12(क)(ii) स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्राधिकारी को इन परिस्थितियों में, लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई वरिष्ठता से निचले स्तर पर वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार देता है। हमें अधिकारियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं दिखाई देती।"

9. उपरोक्त विचार को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकिंकर गुप्ता और अन्य के मामले में, और ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में भी अनुमोदित किया गया।

10. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

27–2–2007

1.(1886) 2 एससीसी 70

2.(1896) 11 एससीसी173

3.(2000) 10 एससीसी77

4.(2005) 11 एससीसी 488

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.